न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 985/2022

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 21/22 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा व खाता स0 22/23 कि कुल 2.0240हैक भूमि में से 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 119/113 की कुल 11.3850हैक भूमि में से 1/12 हिस्सा व खाता स0 146/141 की कुल 1.7710 हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा तथा खाता स0 24/21 की कुल 1.7710हैक भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में का पता डींग तहसील व जिला सिरसा दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक पता गांव फेफाना तहसील नोहर है जो कि वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादी का पता गलत दर्ज होने से वादी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना पता डींग तहसील व जिला सिरसा के स्थान पर अपने दस्तावेजों के अनुसार सही पता फेफाना तहसील नोहर दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसी कारण वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता स0 21/22 व खाता स0 22/23 की जमाबंदी ईएक्स, रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता स0 119/113 की जमाबंदी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ईएक्सपी–2, रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता स0 146 / 141 की जमाबंदी ईएक्सपी–3, रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 खाता स0 24 / 21 की जमाबंदी ईएक्सपी–4 सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र ईएक्सपी–5, आधार कार्ड प्रतिलिपी ईएक्सपी–6, आबादी भूमि का विक्रय अभिलेख ईएक्सपी–7, साक्षी शपथ पत्र द्वारा श्री चरण सिंह पुत्र जयप्रकाश जाति जाट निवासी फेफाना ईएक्सपी–8, गवाह श्री नरेश पुत्र बनवारी लाल जाति जाट निवासी फेफाना शपथ पत्र ईएक्सपी–9, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली ईएक्सपी–10, रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता स0 23 / 18 की जमाबंदी ईएक्सपी–11, रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता स0 113 / 103 की जमाबंदी ईएक्सपी–12 आदि पेश किये।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा अपने पत्रांक 1626 दिनांक 09.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गई कि उक्त खातों की गत जमाबंदी, आधार कार्ड, मतदाता सूची 1988, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र और मजमा–ए– आम में कि गई पूछताछ के आधार पर वादी का पता साकिन डींग तहसील व जिला सिरसा के स्थान पर फेफाना तहसील नोहर किया जाना उचित है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि में वादी का पता डिंग तहसील व जिला सिरसा दर्ज है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजों में पता साकिन फेफाना तहसील नोहरं दर्ज है इसी अनुसार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 21 / 22 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा व खाता स0 22 / 23 कि कुल 2.0240हैक भूमि में से 1 / 12 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 119 / 113 की कुल 11.3850हैक भूमि में से 1 / 12 हिस्सा व खाता स0 146 / 141 की कुल 1.7710 हैक भूमि में से 1 / 6 हिस्सा तथा खाता स0 24 / 21 की कुल 1.7710हैक भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी द्वारा उक्त वाद भूमि में पता डिंग तहसी[illegible]ला सिरसा के स्थान पर साकिन फेफाना तहसील नोहर मुताबिक दस्तावे[illegible] किया है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वा[illegible] का पता फेफाना तहसील नोहर सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों / शपथ पत्र व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 21/22 की कुल 2.0240हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा व खाता स0 22/23 कि कुल 2.0240हैक भूमि में से 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 119/113 की कुल 11.3850हैक भूमि में से 1/12 हिस्सा व खाता स0 146/141 की कुल 1.7710 हैक भूमि में से 1/6 हिस्सा तथा खाता स0 24/21 की कुल 1.7710हैक भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी का पता साकिन डींग तहसील व जिला सिरसा के स्थान पर साकिन फेफाना तहसील नोहर** का अंकन **किये जाने की घोषणा की जाती है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भागीरथ पुत्र काशीराम साकिन डिंग तहसील व जिला सिरसा के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम भागीरथ पुत्र काशीराम साकिन डिंग तहसील व जिला सिरसा ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 985 / 2022

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता स0 21 / 22 की कुल 2. 0240हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा व खाता स0 22 / 23 कि कुल 2.0240हैक भूमि में से 1 / 12 हिस्सा तथा रोही मौजा 9 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 119 / 113 की कुल 11.3850हैक भूमि में से 1 / 12 हिस्सा व खाता स0 146 / 141 की कुल 1. 7710 हैक भूमि में से 1 / 6 हिस्सा तथा खाता स0 24 / 21 की कुल 1.7710हैक भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें **वादी का पता साकिन डींग तहसील व जिला सिरसा के स्थान पर साकिन फेफाना तहसील नोहर** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि भागीरथ पुत्र काशीराम साकिन डिंग तहसील व जिला सिरसा के नाम से हो तो उसके लिए वादी का नाम भागीरथ पुत्र काशीराम साकिन डिंग तहसील व जिला सिरसा ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested